भारत सरकार
रेल मंत्रालय

लोक सभा
23.07.2025 के
अतारांकित प्रश्न सं. 524 का उत्तर

अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत अवसंरचना उन्नयन की स्थिति

524. श्री जी. लक्ष्मीनारायण:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में अमृत भारत स्टेशन योजना (एबीएसएस) के अंतर्गत अवसंरचना उन्नयन हेतु चिह्नित रेलवे स्टेशनों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है और विशेषकर आंध्र प्रदेश के लिए स्टेशन-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त राज्य में प्रत्येक चिह्नित स्टेशन पर प्रस्तावित किए गए या पूर्ण किए गए अवसंरचना उन्नयन कार्यों का ब्यौरा क्या है;

(ग) प्रत्येक परियोजना की अनुमानित लागत, कार्यों की वर्तमान भौतिक और वित्तीय स्थिति क्या है जिसमें स्वीकृति की तिथि, निविदा चरण, पूर्णता का प्रतिशत और स्टेशन-वार पूरा होने की अपेक्षित समय-सीमा शामिल है;

(घ) क्या निधि आवंटन, निविदा अथवा लागत में वृद्धि जैसी किसी देरी के कारण इन परियोजनाओं का समय पर कार्यान्वयन प्रभावित हुआ है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या अनंतपुर और गुंतकल रेलवे स्टेशनों को एबीएसएस के अंतर्गत शामिल किया गया है और यदि हाँ, तो नियोजित कार्यों और समय-सीमा का विशिष्ट ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो उन्हें शामिल न किए जाने के क्या कारण हैं?

उत्तर

रेल, सूचना और प्रसारण एवं इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री

(श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) से (च): अनंतपुर और गुंतकल रेलवे स्टेशन आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित हैं। अनंतपुर रेलवे स्टेशन को अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत विकसित करने के लिए चिह्नित किया गया है।

अनंतपुर रेलवे स्टेशन के लिए निविदाएं प्रदान कर दी गई हैं और परिचलन क्षेत्र को बेहतर बनाने, पार्किंग क्षेत्र, स्टेशन भवन में सुधार करने, प्लेटफार्म शेल्टर का निर्माण करने आदि जैसे विकास कार्य शुरू कर दिए गए हैं।

गुंतकल रेलवे स्टेशन पर परिचलन क्षेत्र में सुधार, प्लेटफार्मों के कवर का विस्तार, स्पर्शनीय पथों का प्रावधान, एस्केलेटर, दिव्यांगजन जल पेडस्टल आदि जैसे विकास कार्य पूरे हो चुके हैं।

भारतीय रेल पर स्टेशनों का विकास/उन्नयन एक सतत् और निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और इस संबंध में कार्य आवश्यकता, पारस्परिक प्राथमिकता, निधि की उपलब्धता आदि के अनुसार किए जाते हैं।

अमृत भारत स्टेशन योजना में दीर्घकालिक दृष्टिकोण के साथ सतत् आधार पर रेलवे स्टेशनों के विकास की संकल्पना की गई है। इसमें प्रत्येक रेलवे स्टेशन की आवश्यकता को देखते हुए स्टेशन तक पहुंच, परिचलन क्षेत्र, प्रतीक्षालय, शौचालय, आवश्यकता के अनसुार लिफ्ट/एस्केलेटर, स्वच्छता, नि:शुल्क वाई-फाई, 'एक स्टेशन एक उत्पाद' जैसी योजनाओं द्वारा स्थानीय उत्पादों के लिए कियोस्क, बेहतर यात्री सूचना प्रणाली, एक्जीक्यूटिव लाउंज, व्यावसायिक बैठकों के लिए निर्दिष्ट स्थान, लैंडस्केपिंग आदि जैसी सुविधाओं में सुधार लाने के लिए मास्टर प्लान तैयार करना और उनका चरणबद्ध कार्यान्वयन करना शामिल हैं।

इस योजना में आवश्यकतानुसार, चरणबद्धता एवं व्यवहार्यता के अनुसार स्टेशन भवन में सुधार, स्टेशन का शहर के दोनों भागों के साथ एकीकरण, मल्टीमोडाल एकीकरण, दिव्यांगजनों के लिए सुविधाएं, दीर्घकालिक और पर्यावरण अनुकूल समाधान, गिट्टी रहित पटरियों की व्यवस्था आदि और दीर्घावधि में स्टेशन पर सिटी सेन्टरों के निर्माण की भी परिकल्पना की गई है।

अब तक, अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत विकसित करने के लिए 1337 स्टेशनों की पहचान की गई है, जिनमें से 73 स्टेशन आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित हैं। आंध्र प्रदेश राज्य में अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत विकसित करने के लिए चिह्नित स्टेशनों के नाम निम्नानुसार है:-

राज्य	अमृत स्टेशनों की संख्या	अमृत स्टेशनों के नाम
आंध्र प्रदेश	73	अदोनी, अनकापल्ले, अनंतपुर, अनापार्थी, अराकू, बापटला, भीमावरम टाउन, बोब्बिली जंक्शन, चिपुरुपल्ली, चिराला, चित्तूर, कड़पा, कुंबुम, धर्मावरम, धोने, डोनाकोंडा, दुव्वाडा, इलामंचिली, एलुरु, गिद्दलूर, गूटी, गुडिवाड़ा, गुडुर, गुनाडाला, गुंटूर, हिंदूपुर, इच्छापुरम, कादिरी, काकीनाडा टाउन, कोट्टावलासा, कुप्पम, कुरनूल सिटी, मछेरिया, मछलीपट्टनम, मदनपल्ली रोड, मंगलागिरी, मर्कापुरम रोड, मत्रालयम रोड, नादिकुडे जंक्शन, नंद्याल, नरसारावपेट, नरसापुर, नौपाड़ा जंक्शन, नेल्लोर, निदादावोलु, ओंगोल, पाकला, पलासा, पार्वतीपुरम, पिदुगुरल्ला, पिलर, राजमपेट, राजमुंदरी,

राज्य	अमृत स्टेशनों की संख्या	अमृत स्टेशनों के नाम
		रायनपड्डु, रेनिगुंटा, रेपल्ले, समालकोट, सत्तनपल्ले, सत्यसाइ प्रशांति निलयम, सिम्हाचलम, सिंगारायकोंडा, श्रीकालहस्ती, श्रीकाकुलम रोड, सुल्लुरपेटा, ताडेपल्लीगुडेम, ताडिपत्रि, तेनाली, तिरुपति, तुनी, विजयवाड़ा, विनुकोंडा, विशाखापत्तनम, विजयनगरम जंक्शन

आंध्र प्रदेश राज्य में अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत रेलवे स्टेशनों पर विकास कार्य तेज गति में शुरू किए गए हैं। इस योजना के अंर्तगत अभी तक, आंध्र प्रदेश राज्य में 01 स्टेशन अर्थात् सुल्लुरपेटा स्टेशन का चरण-I निर्माण कार्य पूरा किया जा चुका है। अन्य स्टेशनों पर भी निर्माण कार्य तेज गति के साथ शुरू किए गए हैं और उपरोक्त कुछ स्टेशनों की प्रगति निम्नानुसार हैं:-

- तिरुपति स्टेशन पर, द्वितीय प्रवेश (दक्षिण की ओर) स्टेशन भवन और 2 अदद एयर कॉन्कोर्स के संरचनात्मक ढांचे का कार्य पूरा हो चुका है और दक्षिण की ओर स्टेशन भवन और एयर कॉन्कोर्स में फिनिशिंग का कार्य, मुख्य प्रवेश (उत्तर की ओर) भवन का संरचनात्मक कार्य, प्लेटफार्म शेल्टर कार्य, लिफ्ट, एस्केलेटर आदि का कार्य शुरू कर दिया गया है।
- नेल्लोर स्टेशन पर, दोनों तरफ स्टेशन भवनों के संरचनात्मक ढांचे, ईंटों का काम और प्लास्टरिंग, एयर कॉनकोर्स के गर्डरों की लांचिंग का कार्य पूरा हो चुका है और दोनों तरफ स्टेशन भवनों और एयर कॉनकोर्स, सबवे

विस्तार, पानी की टंकियों, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के निर्माण कार्य शुरू कर दिए गए हैं।

- रायनापाडु स्टेशन पर स्टेशन भवन, प्लेटफार्म की सतह, प्लेटफार्म शेल्टर, प्रतिक्षालय का कार्य पूरा कर दिया गया है और परिचलन क्षेत्र, पार्किंग, कॉनकोर्स क्षेत्र के लिए फिनिशिंग कार्यों को शुरू कर दिया गया है।
- तुनी स्टेशन पर प्लेटफार्म की सतह और शेल्टर कार्यों को पूरा कर दिया गया है और परिचलन क्षेत्र, पार्किंग, पैदल पार पुल, प्रतिक्षालय और प्रसाधन के उन्नयन कार्यों को शुरू कर दिया गया है।

अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत शामिल स्टेशनों का विकास/उन्नयन/आधुनिकीकरण सामान्यत: योजना शीर्ष-53 'ग्राहक सुविधाएं' के अंतर्गत वित्तपोषित किया जाता है। स्टेशनों के विकास और अनुरक्षण के लिए निधियों के आवंटन का ब्यौरा कार्य-वार या स्टेशन-वार नहीं बल्कि क्षेत्रीय रेल-वार रखा जाता है। यात्री सुविधाओं को योजना शीर्ष-53 'ग्राहक सुविधाएं' के अंतर्गत वित्तपोषित किया जाता है। आंध्र प्रदेश राज्य को चार जोन अर्थात् पूर्व तट रेलवे, दक्षिण रेलवे, दक्षिण मध्य रेलवे और दक्षिण पश्चिम रेलवे द्वारा कवर किया जाता है। वर्ष (बजट अनुमान 2025-26) के लिए, योजना शीर्ष-53 'ग्राहक सुविधाएं' के तहत स्टेशनों के विकास और अनुरक्षण कार्यों के लिए इन जोनों को 2913 करोड़ रुपये आबंटित किए गए हैं।

रेलवे स्टेशनों का विकास/उन्नयन जटिल प्रकृति का होता है जिससे यात्रियों और रेलगाड़ियों की संरक्षा शामिल होती है और इसके लिए दमकल विभाग, धरोहर, पेड़ों की कटाई, विमानपत्तन स्वीकृति इत्यादि जैसी विभिन्न सांविधिक स्वीकृतियों की आवश्यकता होती है। इनकी प्रगति जनोपयोगी सेवाओं (जिनमें जल/सीवेज लाइन, ऑप्टिकल फाइबर केबल, गैस पाइप लाइन, पावर/सिगनल केबल इत्यादि शामिल हैं) को स्थानांतरित करना, अतिलंघन, यात्री संचलन को बाधित किए बिना रेलगाड़ियों का परिचालन, रेलपथ एवं उच्च वोल्टेज बिजली लाइनों के निकट किए जाने वाले कार्यों के कारण गति प्रतिबंध

आदि जैसी ब्राउन फील्ड संबंधी चुनौतियों के कारण भी प्रभावित होती है और ये कारक कार्य के पूरा होने के समय को प्रभावित करते हैं। अत:, इस समय कोई समय-सीमा नहीं बताई जा सकती है।

****